

वेबसाईट www.govt_press_mpp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016-आश्विन 22, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Geeta Singh W/o Vijay Gaurav, DOB 14 June 1988, House wife, Resident of H.N. 24/186, Ward No-24, Dwarika Nagar, Rewa, Disst.-Rewa (M.P.), Presently residing at H.N. 7/142, Ward No.-07, Shiv Nagar, Shahdol, Distt. Shahdol (M.P.) solemnly affirm and declare that before marriage my name was written and read as Geeta Kumari Singh D/o Shri Girja Prasad Singh in all my educational and other documents.

After Marriage my name is written as Geeta Singh W/o Vijay Gaurav in all letter on educational and other documents. My Name is to be written and read as Geeta Singh W/o Vijay Gaurav in all the educational and other documents in the future. Geeta Kumari Singh D/o Shri Girja Prasad Singh and Geeta Singh W/o Vijay Gaurav is the same person.

Old Name:

(GEETA KUMARI SINGH)

(405-B.)

New Name :

(GEETASINGH)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं खालिद शेख बल्द रहीम शेख, निवासी एन. एच. 39, पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नं. 03, कोलार रोड, भोपाल है. मेरे द्वारा स्वयं का नाम परिवर्तन कर खालिद शेख के स्थान पर सौरभ राय कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे सौरभ राय के नाम से ही जाना जाये. मेरी शिक्षा सर्टिफिकेट व मार्कशीट में मेरा नाम सौरभ राय ही जाना जाये, यह सादर सूचना लोगों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जा रहा है.

पुराना नाम :

(खालिद शेख)

(406-बी.)

नया नाम :

(सौरभ राय)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में त्रुटिवश जोत्सना सिंह सोलंकी दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम गुर्वा सिंह है।

अंतः आज दिनांक से मेरे पुत्री के समस्त दस्तावेजों में गुर्वा सिंह पढ़ा, लिखा एवं सम्बोधित किया जाये।

आभा सिंह
पत्नी प्रभुनाथ सिंह,
बम्हनगर्वा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म. प्र.)

(407-बी.)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम लाजवंती आसनानी था अब मेरा नाम लता खट्टर हो गया है, मैं लता खट्टर के नाम से जानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

(लाजवंती आसनानी)

बी-पुराना 14, स्टेशन रोड, बैरागढ़।

(408-बी.)

नया नाम :

(लता खट्टर)

12, अमृत एक्सेव,

अयोध्या, बायपास, भोपाल।

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम दिनेश माहेश्वरी होकर मेरा यही नाम मेरे अधिकांश दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है। साथ ही मुझे दिनेशचन्द्र माहेश्वरी के नाम से सम्बोधित भी किया जाता रहा होने से मेरी अंकसूची व पासपोर्ट अन्य में मेरा दिनेशचन्द्र माहेश्वरी दर्ज है व मैं अपने उक्त दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता रहा व उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के नाम हैं। अब भविष्य में मैं अपने सही नाम दिनेश माहेश्वरी के नाम से ही जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जाऊंगा।

पुराना नाम :

(दिनेशचन्द्र माहेश्वरी)

(409-बी.)

नया नाम :

(दिनेश माहेश्वरी)

पिता श्री लक्ष्मीनाराण माहेश्वरी,

140, गोयल नगर, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम ममता पति विवेक बाफना है व मेरा घरेलू नाम फुलबाला मण्डलेचा है। इस प्रकार उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं व अब मैं भविष्य में अपने वास्तविक व सही नाम ममता पति विवेक बाफना के नाम से जानी-पहचानी व संबोधित की जाऊंगी।

पुराना नाम :

(फुलबाला मण्डलेचा)

(410-बी.)

नया नाम :

(ममता पति विवेक बाफना)

2, सूरज नगर एक्सटेंशन, बंगाली चौराहा,

कनाड़िया रोड, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा अवयस्क पुत्र हर्ष सेन के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम चेतना सेन (Chetna Sen) लिखा गया है जिसे बदलकर पवित्रा सेन (Pavitra Sen) कर लिया है। अंतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में मेरे पुत्र की माता का नाम चेतना सेन के स्थान पर पवित्रा सेन (Pavitra Sen) पढ़ा जाये। सो विदित होवे।

पुराना नाम :

(चेतना सेन)

(411-बी.)

नया नाम :

(पवित्रा सेन)

433, कुंदन नगर, हवा बंगला के पास,

इन्दौर।

CHANGE OF NAME

I, Babli Bai changed my name to Pooja Prithiani and now I would be known as Pooja Prithiani.

Old Name:

(BABLI BAI)

(412-B.)

New Name :

(POOJA PRITHIANI)

Add.-68, Gopal Bagh Colony,

Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रियेश मर्स्कोले (PRIYESH MARSKOLE) पुत्र श्री डी. एस. मर्स्कोले, निवासी विकास नगर, बैतूल (म. प्र.) का नाम कुछ दस्तावेज में प्रियेश कुमार (PRIYESH KUMAR) एवं कुछ में प्रियेश मर्स्कोले अंकित है. ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं एवं आगे सभी प्रक्रियाओं में नाम प्रियेश मर्स्कोले उपयोग में रहेगा.

पुराना नाम :

(प्रियेश कुमार)

(413-बी.)

नया नाम :

(प्रियेश मर्स्कोले)

विकास नगर, बैतूल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री कु. अक्षदा पिता अजय भणगे, निवासी 17/2, मोती तबेला, इन्दौर का नाम परिवर्तन कर कु. देविका पिता अजय भणगे रखा गया है. आज से मेरी पुत्री को कु. देविका पिता अजय भणगे के नाम से जाना जाए.

(414-बी.)

अजय भणगे,

17/2, मोती तबेला, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम **SAVITA PATWARDHAN** था, जो कि अब बदलकर **RAJUL NIGDIKAR** हो गया है. अतः अब से मुझे मेरे नये नाम **RAJUL NIGDIKAR** से ही जाना व पहचाना जाए.

Old Name:

(SAVITA PATWARDHAN)

New Name :

(RAJUL NIGDIKAR)

(415-B.)

Daisy 1 D Sector 1 B, Global Park City,
Katara Hills, Huzur, Bhopal, M. P.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स साईंड डबलपर्स, लक्ष्मी वाच कंपनी के सामने, टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.) भागीदारी फर्म के, भागीदार श्रीमती वाणी पमनानी धर्मपत्नी श्री दीपक पमनानी एवं श्री रामकुमार गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल, दिनांक 15-01-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उसी दिनांक 15-01-2016 से श्री संदीप गोयल पुत्र श्री हरीबाबू गोयल, श्रीमती मीरा गोयल धर्मपत्नी श्री हरीबाबू गोयल एवं श्रीमती नम्रता अग्रवाल धर्मपत्नी श्री कृष्णा अग्रवाल, फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं. तदनुसार सूचित हो.

(416-बी.)

मेसर्स साईंड डबलपर्स,
द्वारा-श्रीमती इन्द्रा देवी,
(भागीदार)

लक्ष्मी वाच कंपनी के सामने,
टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स साईंड रियलटी, लक्ष्मी वाच कंपनी के सामने, टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.) भागीदारी फर्म के, भागीदार श्री दीपक पमनानी पुत्र स्व. श्री अर्जुन पमनानी, श्री महेश रेहिरा पुत्र स्व. श्री कृपाल दास रेहिरा, श्री महेन्द्र कृपलानी पुत्र स्व. श्री केवलराम कृपलानी, श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल एवं श्रीमती अनीता गोयल धर्मपत्नी श्री रामकुमार गोयल दिनांक 15-01-2016 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उसी दिनांक 15-01-2016 से श्री कृष्णा अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री संदीप गोयल पुत्र श्री हरीबाबू गोयल एवं श्रीमती अर्चना गोयल धर्मपत्नी श्री संदीप गोयल फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं. तदनुसार सूचित हो.

(417-बी.)

मेसर्स साईंड रियलटी,
द्वारा-श्रीमती इन्द्रा देवी,
(भागीदार)

लक्ष्मी वाच कंपनी के सामने,
टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मे. सॉइंनाथ प्रॉपर्टीस के संविधान में दिनांक 01-03-2016 से निम्नांकित संशोधन हुए हैं।

फर्म से अलग होने वाले भागीदार

1. श्रीमती उषा पति गोपालदास माहेश्वरी
2. श्रीमती इंदिरा पति शैलेष्कुमार माहेश्वरी
- निम्नलिखित भागीदार यथावत भागीदारी फर्म में रहेंगे।
1. श्री शैलेष्कुमार पिता पन्नालाल माहेश्वरी
2. श्री विरेन्द्र पिता रामानन्द तिवारी
3. श्री विशाल पिता गोकुल महाजन

(418-बी.)

वास्ते-मैसर्स सॉइंनाथ प्रॉपर्टीस,
शैलेष्कुमार,
(फर्म भागीदार)
बुरहानपुर, म. प्र.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जयराम कंस्ट्रक्शंस, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0042/16, दिनांक 18-05-2016 स्थित पता मकान नं. 75, निरजा नगर, जे. के. रोड, भोपाल, म. प्र. में स्थित है एवं दिनांक 16-07-16 को चौथे भागीदार श्री भजनलाल राजपूत आत्मज स्व. श्री मिश्रीलाल राजपूत, आयु बयस्क, पता मकान नं. 43 के, गणेश चौक, नरेला शंकरी, भोपाल फर्म साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

(419-बी.)

फर्म-मैसर्स जयराम कंस्ट्रक्शंस,
दिनेश राजपूत,
(भागीदार)
मकान नं. 75, निरजा नगर,
जे. के. रोड, भोपाल, म. प्र.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ए. पी. एस. मिनरल्स, सागर पंजीकृत क्रमांक 06/12/01/00052/11, जुलाई 15 सन् 2011 से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सागर में पंजीकृत है जिसमें कि श्री अर्पित शर्मा, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सतीश गोयल, श्री मोहित बिंदल, श्री नवीन कुमार जैन भागीदार हैं। इसमें से श्री सतीश गोयल, भागीदार, भागीदारी से अलग हो गये हैं। समस्त को अवगत कराने हेतु प्रकाशित।

(420-बी.)

मैसर्स ए.पी.एस. मिनरल्स,
मुकेश कुमार जैन,
(भागीदार)
लक्ष्मी निवास, सिविल लाइन्स,
छतरपुर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जयरणजीत ओनियन कम्पनी फर्म जिसका पता-दुकान नम्बर 229, नवीन फल एवं सञ्जी मण्डी, तेजपुर, गढ़बड़ी, इन्दौर, म. प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0026/16, दिनांक 23-05-2016 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री प्रकाश पिता श्री जमयितराम वाधवानी, 2. श्री प्रेमकुमार पिता श्री अशोक असरानी, 3. श्री मोहित पिता श्री अशोक असरानी जी थे। तत्पश्चात् दिनांक 23-09-2016 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री प्रकाश पिता श्री जमयितराम वाधवानी भागीदारी फर्म मैसर्स जयरणजीत ओनियन कम्पनी से पृथक् हो गये हैं। इन भागीदारों ने फर्म मैसर्स जयरणजीत ओनियन कम्पनी से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। यह विदित हो।

(421-बी.)

तर्फ
मैसर्स जयरणजीत ओनियन कम्पनी,
1. प्रेमकुमार पिता श्री अशोक असरानी,
2. मोहित पिता श्री अशोक असरानी
(भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी सर्विसेज फर्म के भागीदार शर्तनाम के अनुसार तीन भागीदार थे जिनमें से भागीदार क्र. 1 श्री बद्रीप्रसाद पिता खरगराम तिवारी, उम्र 89, दिनांक 01-08-16 को स्वर्गवास हो जाने से श्री बद्रीप्रसाद तिवारी का फर्म की भागीदारी खत्म हो गई बाकि भागीदार फर्म संचालन करेंगे।

मेसर्स बालाजी सर्विसेज फर्म,
महेश तिवारी,
(भागीदार)
रामपुरा वार्ड, सांगर.
रज. 06/09/010058/15

(422-बी.)

NOTICE

(U/s. 72 Of The Indian Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that the firm "M/s. Sri Ballav Infrastructure Developers" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00098/10-2010-11 Bhopal-Dated 28-5-2010 undergone the following changes:—

1. That Shri Nirmal Sharma S/o Shri Adiram Sharma has joined the firm with mutual consent of the Partners w.e.f. 15-10-2014.
2. That Shri Dwarika Prasad Sharma S/o Shri Ramcharan Lal Sharma and Shri Suresh Upadhyaya S/o Shri Chaturbhuj Upadhyaya shall retired from the firm w.e.f. 02-07-2016.

"M/s. Sri Ballav Infrastructure Developers"
Adiram Sharma,
(Partner).

B-85, Amarnath Colony, Bhopal, M.P.

(423-B.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र

फर्म मैसर्स एस. के. एसोसिएट्स, पता डी. के. 1/66 दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00266/10 दिनांक 16-09-2016 है, की रचना में दिनांक 01-09-2015 से परिवर्तन करते हुए श्री जी. एस. सिंह, पता-ग्राम वीजनवाड़ा पचमढ़ी रोड, तह. पिपरिया, जिला होशंगाबाद को दिनांक 01-09-2015 से पृथक् एवं श्रीमती सरिता बिल्लौरे, पता-डी. के. 1/66, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल को दिनांक 01-09-2015 से फर्म में सम्मिलित किया गया। तदानुसार सूचित हो।

भवदीय
विनोद कुमार शर्मा,
(अधिवक्ता)
47, अमलतास बिल्डिंग, तृतीय तला,
मालवीय नगर, भोपाल.

(424-बी.)

NOTICE

(NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given for public information that Shri Kanhiyalal Sachdev S/o Late Shri Sugnomal Sachdev, who has been partner in firm M/s. SACHDEV RICE & PULSE MILLS, 32-33/2, Malharganj, Indore (M. P.) vide regn. No. 1668/78-79, dated 27-11-1978 year : 1978-79 has expired on 08-04-2016 & therefore, he ceased to be partner in the firm and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For M/s. SACHDEV RICE & PULSE MILLS
Anil Kumar Sachdev,
(Partner).

(425-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी
(प्रारूप-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1962 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूँकि आवेदक सचिव, रामेश्वर चौदहा वल्ड स्व. श्री कैलाशचंद्र चौदहा, निवासी ईश्वरीपुरा, वार्ड कटनी द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर, ट्रस्ट कमेटी, कटनी ईश्वरीपुरा वार्ड कटनी के मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के व सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट कमटी, कटनी।
पता	:	ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी।
चल सम्पत्ति	:	पंजाब बैंक ऑफ इण्डिया स्थित खाता।
अचल सम्पत्ति	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर एवं बाड़ा जो नगर निगम भवन क्रमांक 431 से 431/16 है, जो ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी में स्थित है। 2. मालवीय गंत वार्ड में स्थित दुकानें जिनका भवन क्र. 481/1 से 481/37 तक है। 3. राधा भवन के नाम से धर्मशाला जो लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने स्थित है, जिसका भवन क्रमांक 218 है, जो जालप्रा देवी वार्ड कटनी में स्थित है। 4. मकान/दुकान चन्द्रशेखर आजाद वार्ड आजाद चौक, कटनी स्थित है, जिसका भवन क्रमांक 132 से 132/7 है। 5. कुठला स्थित जमीन प.ह.न. 40/50 रकवा 10 एकड़ 72 डिसमिल।

आज दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राजीव श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी।

(746)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग त्योंथर, जिला रीवा

दिनांक 14 सितम्बर, 2016

(प्रारूप-4)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

प्र.क्र.7/बी-121/2015-16.

यह कि तहसीलदार, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को मेरे न्यायालय में लिया जावेगा।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, त्योंथर, जिला रीवा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ।

अतएव एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तरीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उरोक्त अवधि के अवशान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

श्री रामजनकी मंदिर लोक न्यास, घटेहा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खसरा	रकवा	कैफियत	क्र.	खसरा	रकवा	कैफियत
01.	4	0.259		28.	83	0.999	
02.	5	0.793		29.	86/1	0.388	
03.	6	0.125		30.	86/2	0.388	
04.	7	0.235		31.	87	0.215	
05.	8	0.414		32.	89	0.713	
06.	9	0.340		33.	90	0.510	
07.	10	0.227		34.	93	0.223	
08.	11	0.065		35.	332	0.036	
09.	12	1.019		36.	333	0.16	
10.	13	0.097		37.	334	0.036	
11.	14	0.227		38.	336/1	0.016	
12.	15	0.040		39.	697/2	3.237	
13.	16	0.036		40.	797/1	5.672	
14.	17	0.053		41.	798/1	1.801	
15.	18	0.486		42.	801/1	7.810	
16.	19	0.057		43.	662	0.539	
17.	20	0.129		44.	666	0.158	
18.	21	0.049		45.	667	0.380	
19.	22	0.036		46.	672	1.927	
20.	23	0.223		47.	673	0.125	
21.	24	0.206		48.	674	0.704	
22.	29	0.656		49.	676	0.106	
23.	75	0.324		50.	678	0.389	
24.	79	1.327		51.	1326/664	0.186	
25.	80	0.397		52.	1327/662	2.242	
26.	81	0.251		53.	1331/672	1.129	
27.	81	0.858		54.	1334/675	0.065	

कुल किता 54 योग रकवा-39.019 हे.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

प्र. क्र. 4/बी-113/15-16.

जैसाकि श्री एम. एम. वासवानी, संरक्षक “श्रीराम परिवार कृष्ण शिव परिवार सेवा न्यास” ग्राम पाटनिया, तहसील हुजूर, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	“श्रीराम परिवार कृष्ण शिव परिवार सेवा न्यास” ग्राम पाटनिया, तहसील हुजूर, भोपाल।
2. चल सम्पत्ति	:	..
3. अचल सम्पत्ति	:	अध्यक्ष कमलसिंह के नाम से ग्राम तुमड़ा प. ह. न. 36, तहसील हुजूर, भोपाल में भूमि खसरा क्रमांक 676/2, 683/2, 684/2, 744/1 कुल रकमा 1.865 हेक्टर भूमि।

आज दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(744)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

प्र. क्र. 5/बी-113/15-16.

जैसाकि “श्री श्री 1008 बाबा दयादास जी गालवपूर्व ब्राह्मण त्यागी समाज सेवा मंदिर न्यास” पता-ग्राम साइस्ताखेडी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	“श्री श्री 1008 बाबा दयादास जी गालवपूर्व ब्राह्मण त्यागी समाज सेवा मंदिर न्यास” ग्राम साइस्ताखेडी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।
2. चल सम्पत्ति	:	..
3. अचल सम्पत्ति	:	..

आज दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

माया अवस्थी,
अनुविभागीय अधिकारी।

(744-A)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत]

प्र.क्र. /बी/113-2015-16.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि संस्थापक अध्यक्ष सुभाष पिता सागरमल, निवासी फोफनार ने “जीवदया गो सेवा ट्रस्ट संग्रामपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)” का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 4 नवम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. “जीवदया गो सेवा ट्रस्ट संग्रामपुर तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

2. चल सम्पत्ति : निरंक

3. अचल सम्पत्ति : निरंक

इयामेन्द्र जायसवाल,
पंजीयक।

(743)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए।]

प्र.क्र. 05/2015-16/बी-113 (1)

आवेदक श्री अभिजीत अनंतराव अत्रे पुत्र श्री अनंतराव ए. अत्रे, निवासी अत्रे शास्त्री निवास, हुजरात रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने अभिभाषक श्री पी. एन. शर्मा द्वारा “रोडसेप फाउण्डेशन ट्रस्ट” स्थित अत्रे शास्त्री निवास, हुजरात रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है, उसका गठन करता है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता : “रोडसेफ फाउण्डेशन ट्रस्ट”
अत्रे शास्त्री निवास, हुजरात रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन:

1. चल सम्पत्ति : 11,000/- रुपये.
2. अचल सम्पत्ति : निरंक.

(742-A)

ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

प्र. क्र. 04/2015-16/बी-113 (1).

आवेदक श्री सौरव सोमानी पुत्र श्री जगदीश नाराण सोमानी, निवासी सी-299, सेक्टर पी-3, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) 201208 ने अभिभाषक श्री पी. एन. शर्मा द्वारा “वेक्टस फाउण्डेशन” स्थित कंचन रोशनी घर रोड, अचलेश्वर मंदिर के पास, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है, उसका गठन करता है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता : “वेक्टस फाउण्डेशन ट्रस्ट”
कंचन रोशनी घर रोड, अचलेश्वर मंदिर के पास, जिला ग्वालियर

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन:

1. चल सम्पत्ति : 2100/- रुपये.
2. अचल सम्पत्ति : निरंक.

(742)

विजय राज,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1670.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1064, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा माँ गायत्री साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 21 फरवरी, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापन नियुक्त किया गया है।

परिसमापन द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ गायत्री साख सहकारी समिति मर्या, इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 21 फरवरी, 2003 है के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(740-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

बोरेश्वर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., दंगवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 1944, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 आदेश क्रमांक/परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत बोरेश्वर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., दंगवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 1944, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(748)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेश्वक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 सितम्बर, 2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आलोटजागीर	1924/04-12-2014	737/08-03-2016
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामाबालोदा	1925/04-12-2014	737/08-03-2016
3.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भौजा	1928/04-12-2014	737/08-03-2016
4.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नारेलाकला	1929/04-12-2014	737/08-03-2016
5.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उटेसरा	1932/04-12-2014	737/08-03-2016

1	2	3	4
6.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाल्याखेड़ी	1933/04-12-2014	737/08-03-2016
7.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेमासा	1934/04-12-2014	737/08-03-2016
8.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, असलाना	1937/04-12-2014	737/08-03-2016

अतः मैं, समीर हरदास, उप-अंकेक्षक, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उच्चायोग में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वतंत्र के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्पूर्ण सूचना आज दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

समीर हरदास,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(749)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016-आश्विन 22, शके 1938

भाग 3 (2)

सांखिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 जून, 2016

1. मौसम एवं वर्षा--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक--तहसील पोरसा, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड (भिण्ड), पृथ्वीपुर, जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), मालथौन (सागर), बटियागढ़ (दमोह), रघुराजनगर, मझगांव, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), हजूर, रायपुरक चुलियान (रीवा), ब्यौहरी, जैसिंगनगर (शहडोल), सिंहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), धरमपुरी (धार), महेश्वर (खरगौन), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बुदनी (सीहोर), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक--तहसील अम्बाह (मुरैना), श्योपुर (श्योपुर), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), निवाड़ी, ओरछा (टीकमगढ़), गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, रेहली, देवरी, गढ़कोटा (सागर), जवेरा, पटेरा (दमोह), नागौद, बिरसिंहपुर (सतना), हनुमना, गुढ़ (रीवा), जैतपुर (शहडोल), मंझोली (सीधी), मल्हारगढ़, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्थड़का, कयामपुर (मंदसौर), थांदला (झाबुआ), अलीराजपुर, च.शेखर आ.नगर (अलीराजपुर), सरदारपुर, मनावर (धार), बड़वाह (खरगौन), नेपानगर (बुरहानपुर), गैरतगंज, बेगमगांज, गोहरगंज, सिलवानी (रायसेन), होशंगाबाद, बावई (होशंगाबाद), गोटेंगांव (नरसिंहपुर), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक-- तहसील मुरैना (मुरैना), मेहगांव, मिहोना-रोन (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), छतरपुर, राजनगर (छतरपुर), बंडा, शाहगढ़ (सागर), हटा, पथरिया, दमोह (दमोह), सिरमोर (रीवा), बुढार (शहडोल), सुबासराट्पा, भानपुरा, मंदसौर (मंदसौर), जोवट, कटटीवाड़ा (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुक्षी (धार), सेंगांव, खरगौन (खरगौन), पुनासा (खंडवा), विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बरेली, बाड़ी (रायसेन), इटारसी, बनखेड़ी (होशंगाबाद), मंझोली (जबलपुर), गाड़रवारा, करेली (नरसिंहपुर), हरई (छिन्दवाड़ा), कुरई (सिवनी), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.-तहसील लहार (भिण्ड), डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, बिजावर, बड़ामलहरा, बकस्वाहा (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), खुई, सागर, राहतगढ़, केसली (सागर), तेन्दूखेड़ा (दमोह), सोहागपुर, गोहपारू (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गरोठ, संजीत (मंदसौर), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), गंधवानी, डही (धार), गोगावां, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), खंडवा, पंधाना, हरसूद (खंडवा), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, गुलाबगंज (विदिशा), सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर, इच्छावर, नसरुल्लागंज, रेहटी (सीहोर), रायसेन, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), हरदा, छिड़किया, टिमरनी (हरदा), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुंडम (जबलपुर), नरसिंहपुर, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), छिन्दवाड़ा, जुनारदेव, परासिया, उमरैठ, तामिया, सौंसर, पांडुना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, चाँद, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, घन्सौर, घनौरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, बैहर (बालाघाट), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला हरदा में फसल सोयाबीन व धार में सोयाबीन, मक्का व मुरैना, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, शाजापुर, झाबुआ, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिन्दवाड़ा व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.-

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, जबलपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 जून, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का साप (पी. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
5. जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. *जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मुँगावली	..				
2. इसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	30.0				
2. पृथ्वीपुर	3.0				
3. जतारा	5.0				
4. टीकमगढ़	73.0				
5. बल्देवगढ़	10.0				
6. पलेरा	3.0				
7. ओरछा	18.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	3.0				
2. गौरीहार	3.0				
3. नौगांव	84.4				
4. छतरपुर	37.0				
5. राजनगर	36.4				
6. बिजावर	59.0				
7. बड़ामलहरा	126.0				
8. बक्सवाहा	133.4				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसू, मटर, आलू, प्याज (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़	1.8				
2. पन्ना	74.0				
3. गुन्नौर	34.0				
4. पवर्झ	24.0				
5. शाहनगर	31.1				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	23.8				
2. खुरई	85.0				
3. बण्डा	38.5				
4. सागर	120.1				
5. रेहली	30.0				
6. देवरी	34.3				
7. गढ़ाकोटा	34.0				
8. राहतगढ़	76.2				
9. केसली	80.0				
10. मालथोन	4.2				
11. शाहगढ़	36.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह : 1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दुखेड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर 37 13.2 54 50 30 55.4 24	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूंग, उड्ढ, गन्ना, मक्का, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना : 1. रघुराजनगर 2. मझगांव 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर 2.6 15.0 .. 31.9 11.0 13.0 5.0 8.0 19.0	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7... 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा : 1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकर्चुलियान	मिलीमीटर .. 47.9 .. 28.2 8.2 27.0 3.0	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
16. जिला शहडोल: 1. सोहागपुर 2. ब्यौहरी 3. जैसिंहनगर 4. गोहपारु 5. जैतपुर 6. बुढ़ार	मिलीमीटर 70.0 14.0 7.0 64.0 27.0 44.3	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
17. जिला अनूपपुर : 1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	मिलीमीटर 86.9 90.5 85.0 198.2	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
18. जिला उमरिया : 1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
19. जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर .. 12.0 22.0 6.0 .. 5.1	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगराईली	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगराईली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	46.2 35.2 29.0 77.4 53.0 28.0 27.4 24.0 94.0 24.2				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
26. जिला शाजापुर	मिलीमीटर	2. जुताई एवं लोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ेदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	63.0 95.6 60.0 108.0 181.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कल्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	23.8				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावट	12.0				
4. झाबुआ	8.5				
5. राणापुर	6.0				
29. जिला अलीराजपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोकट	42.2				
2. अलीराजपुर	19.4				
3. कट्टीवाड़ा	50				
4. सोंडवा	81				
5. उदयगढ़	77.8				
6. च. शेखर आ. नगर	17.6				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल, सोयाबीन, मक्का की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	47.7				
2. सरदारपुर	20.0				
3. धार	48.6				
4. कुच्छी	45.4				
5. मनावर	23.0				
6. धरमपुरी	5.0				
7. गंधवानी	61.0				
8. डही	54.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना कम.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	27.0				
2. महेश्वर	7.0				
3. सेंगाव	38.0				
4. खरगोन	49.1				
5. गोगावां	65.0				
6. कसरावद	90.0				
7. भगवानपुरा	122.6				
8. भीकनगांव	63.0				
9. झिरन्या	186.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. *जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	127.0				
2. पुनासा	47.3				
3. पंधाना	89.0				
4. हरसूद	72.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	10.9				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	18.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	165.0				
2. सिरोंज	85.8				
3. कुरवाई	63.8				
4. बासोदा	66.6				
5. नटरेन	66.0				
6. विदिशा	40.1				
7. गुलाबगंज	114.0				
8. ग्यारसपुर	52.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	83.0				
2. श्यामपुर	78.1				
3. आष्टा	63.0				
4. जावर	107.8				
5. इछावर	72.0				
6. नसरुल्लागंज	60.0				
7. रेहटी	179.6				
8. बुधनी	15.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	93.2				
2. गैरतगंज	28.2				
3. बेगमांज	34.4				
4. गोहरगंज	23.0				
5. बरेली	35.0				
6. सिलवानी	24.4				
7. बाड़ी	42.0				
8. उदयपुरा	59.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	80.2				
2. होशंगाबाद	25.4				
3. बावई	19.0				
4. इटारसी	35.8				
5. सोहागपुर	54.0				
6. पिपरिया	139.8				
7. बनखेड़ी	51.0				
8. पचमढ़ी	91.8				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	111.6				
2. खिडकिया	169.4				
3. टिमरनी	103.2				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	74.8				
2. पाटन	90.0				
3. जबलपुर	95.0				
4. मझोली	48.4				
5. कुण्डम	144.8				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाड़रवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेंदूखेड़ा	44.0 47.0 88.0 24.0 115.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	54.8 84.6 63.6 155.2 76.7 80.5				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. उमरेठ 5. तामिया 6. सोंसर 7. पार्दुणा 8. अमरवाड़ा 9. चौरई 10. बिछुआ 11. हरई 12. चांद 13. मोहखेड़ा	86.7 66.6 81.5 80.7 133.0 86.0 103.3 148.4 69.8 78.2 52.3 56.8 62.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनाकोन 4. बरधाट 5. उरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	69.80 62.40 120.80 130.90 38.0 62.0 105.90 73.70				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँझी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	57.6 34.7 137.0 47.7 12.5 ..				

टीप.-*जिला अशोकनगर, गुना, नीमच, उज्जैन, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।